भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3827

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति

3827. श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और बरेली जिले में विशेष रूप से कृषि अवसंरचना निधि और अन्य केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत कृषि अवसंरचना, वेयरहाउस, शीतागार और मूल्यवर्धन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन योजनाओं के परिणामस्वरूप किसानों को प्राप्त होने वाले लाभों और कृषि विपणन सुविधाओं में सुधार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बरेली जिले में कृषि प्रसंस्करण और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त पहल किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि राज्य का विषय है। हालांकि, भारत सरकार नीतिगत समर्थन, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और अन्य मूल्यवर्धन परियोजनाओं के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) पात्र ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से फार्म-गेट पर फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवहार्य कृषि संपत्तियाँ जैसे वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों, गोदामों और रसद सुविधाओं के निर्माण हेतु मध्यम और दीर्घकालिक वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है। यह योजना 9% की अधिकतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है, जिसमें 3% ब्याज अनुदान और 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी कवरेज शामिल है।

उत्तर प्रदेश में एआईएफ के तहत कुल 16,994 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें कुल ऋण राशि ₹9,799.04 करोड़ है और ₹16,736.74 करोड़ का निवेश जुटाया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं में 1,295 वेयरहाउस, 905 कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन परियोजनाएं, 4,588 प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, 2,449 कस्टम हायरिंग सेंटर और 5,039 कृषि/फसल स्वचालन परियोजनाएं शामिल हैं। बरेली जिले में, एआईएफ के तहत 786 एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें कुल ऋण राशि ₹565.73 करोड़ और कुल परियोजना लागत ₹993.08 करोड़ है। स्वीकृत परियोजनाओं में 367 कृषि/फसल स्वचालन परियोजनाएं, 169 प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, 32 वेयरहाउस, 17 कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन परियोजनाएं और 37 कस्टम हायरिंग सेंटर शामिल हैं।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद द्वारा 2025 में किए गए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के प्रभाव आकलन अध्ययन के अनुसार, इस योजना ने छोटे और सीमांत किसानों, उद्यमियों और स्थापित कृषि व्यवसायों सहित कृषि उद्यमों के लिए वित्त तक पहुंच में सुधार किया है। इसके परिणामस्वरूप बेहतर मूल्य प्राप्ति हुई है और कृषि मूल्य श्रृंखला में लाभार्थियों की स्थिति में सुधार हुआ है। अध्ययन के अनुसार, प्रत्येक एआईएफ इकाई व्यस्त मौसम में कम से कम औसतन 12-13 प्रत्यक्ष रोजगार, कम उत्पादन वाले महीनों में 6 रोजगार और लॉजिस्टिक्स, विपणन, मरम्मत, पैकेजिंग और सहायक इनपुट सेवाओं जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से 19 अप्रत्यक्ष रोजगारों का समर्थन करती है। एआईएफ के अंतर्गत किए गए हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण और मशीनीकरण प्रणालियों के कारण फसलोपरांत होने वाले नुकसान में औसतन 5-15% की कमी आई है, जिससे दक्षता में वृद्धि हुई है और विभिन्न वस्तुओं का अपव्यय कम हुआ है। सर्वेक्षण में शामिल लाभार्थियों की आय में 11-15% तक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा अध्ययन के अनुसार, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) ने फार्म-गेट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया है और मशीनीकरण में सुधार किया है। इसने विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का समर्थन करके भंडारण, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और बाजार संबंधों में मौजूद कमियों को दूर किया है।

एआईएफ के अतिरिक्त, विभाग की एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) बाजार संरचनाओं के निर्माण और सुधार, क्षमता निर्माण और बाजार संबंधी जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के माध्यम से कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) और ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसी उप योजनाओं के द्वारा राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है।

कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) के तहत, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में फसलोपरांत विपणन अवसंरचना, जिसमें भंडारण/आधुनिक वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, के निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों, महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमोटर्स, पीएसीएस और एफपीओ आदि को 33.33% और अन्य को 25% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में, इस योजना के तहत कुल 1,343 भंडारण परियोजनाओं को 63,08,971 मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ 204.17 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। इसमें बरेली जिले में 3,18,907.319 मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता वाली 36 भंडारण परियोजनाएं और 6.78 करोड़ रुपये की सब्सिडी शामिल है।

ई-नाम के तहत, अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग (ई-ट्रेडिंग) पोर्टल मौजूदा भौतिक कृषि विपणन समितियों (एपीएमसी) को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ता है, जिससे कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण होता है। यह पोर्टल एपीएमसी से संबंधित सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो उपलब्ध कराता है, जिसमें उत्पादों की आवक, गुणवत्ता और मूल्य, खरीद-बिक्री प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया देने के प्रावधान, व्यापार प्रस्ताव और किसानों के खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निपटान जैसी अन्य सेवाएं शामिल हैं। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश में 162 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिनमें से 3 बरेली जिले में हैं।

इसके अलावा, बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने वाला एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) बागवानी उत्पादों का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फसलोपरांत प्रबंधन

(पीएचएम) और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में, योजना की शुरुआत से अब तक, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज यूनिट, रेफ्रिजरेटेड वैन, प्राथमिक प्रसंस्करण यूनिट, राइपनिंग चैंबर, कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी प्री-कूलिंग यूनिट और मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट सहित 2788 यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) बागवानी मूल्य श्रृंखला में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी योजना भी लागू कर रहा है, जिसमें उत्पादन, फसलोपरांत प्रबंधन और बागवानी उत्पादों का वैज्ञानिक भंडारण शामिल है। संरक्षित खेती, पैक हाउस, ग्रेडिंग और पैकिंग इकाइयाँ, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ, राइपनिंग चैंबर्स और रीफर वाहन जैसी वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं की स्थापना के लिए पात्र परियोजना लागत की 35% से 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 5,000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज, नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण और प्याज भंडारण की स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए भी पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसे पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इन उपायों से फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, फसलोपरांत हानि कम होती है, भंडारण और विपणन सुविधाओं में सुधार होता है और बागवानी उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में भी सहयोग करता है। यह मिशन तेल मिलों और एक्सट्रैक्सन यूनिट की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 33% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके तेल निष्कर्षण में निवेश को प्रोत्साहित करता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई ₹9.90 लाख है, जिससे कृषि आधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलता है। वर्ष 2025-26 के दौरान, मिशन के तहत 400 तेल मिलों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। एनएमईओ-तिलहन के तहत, उत्तर प्रदेश में 5 बीज केंद्र और 3 विशेष बीज भंडारण इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, राज्य में 2 तेल मिलें भी स्थापित की गई हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), केंद्रीय क्षेत्र की योजना - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित योजना - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित करता है। ये योजनाएँ मांग-आधारित हैं और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लागू की जाती हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में, इस योजना के तहत, ₹2007.98 करोड़ की परियोजना लागत वाली कुल 103 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें बरेली जिले में ₹82.28 करोड़ की परियोजना लागत वाली 9 परियोजनाएँ शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) का उद्देश्य, अन्य कार्यों के साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन्स को समर्थन देना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादों के ब्रांडों का समर्थन करना है। उत्तर प्रदेश में, इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 26 प्रस्ताव प्रचालन में हैं, जिनमें

₹1052.1 करोड़ का प्रतिबद्ध निवेश है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएमएफएमई) योजना के तहत, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश में 26,465 क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें बरेली जिले में 459 ऋण शामिल हैं; 8,511 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों को 25.97 करोड़ रुपये की सीड कैपिटल सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें बरेली जिले के 746 एसएचजी सदस्यों को स्वीकृत 2.19 करोड़ रुपये शामिल हैं; और 14 कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर प्रस्तावों को 46.90 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ मंजूरी दी गई है, जिसमें बरेली जिले में 3.27 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ एक इन्क्यूबेशन सेंटर शामिल है।
